राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2705484 email- rajssa_ied@yahoo.co.in, iedss.rmsaraj@gmail.com

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0 / जय / आईईडी / 2018–19 / 5220 दिनांक 21/8/18

दिशा–निर्देश
(सत्र 2018–19)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु परिवहन/एस्कॉर्ट भत्ता

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2018–19 के अन्तर्गत राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार भत्ते उपलब्ध कराये जाने है।

1. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत बालक–बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता।
   - ✓ Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
2. इसी श्रेणी के वे बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय व विद्यालय से घर बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुँच पाने में असमर्थ है के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता।
   - ✓ Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Some children with special needs are having high support needs and could not reach their school without support. To provide support to these children there should be provision of escort allowance for their escort.

उक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है।

परिवहन भत्ता

- **पात्रता :–** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक–बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
- **अवधि :–** 10 माह के लिए
- **राशि :–** अधिकतम ₹ 400 / –प्रति माह

www.rajteachers.com

एस्कॉर्ट भत्ता :-

- **पात्रता :-** Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित **बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले** (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ है, अर्थात् इन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक इनके अभिभावक द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है।
- **अवधि :-** 10 माह
- **राशि :-** ₹ 400/-प्रति माह

परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ते हेतु बच्चों का चयन -

- परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह जून–अगस्त, 2018 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/बीईईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	जिला समन्वयक (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 3 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है।
जुलाई, 2018	जुलाई, अगस्त, सितम्बर (3 माह)
अक्टूबर, 2018	अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर (3 माह)
जनवरी, 2019	जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (4 माह)

- **परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा।**
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशित शिक्षा की उपमद "Transportation Allowance एवं Escort Allowance** आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा।

विशेष बिन्दु :-

- **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर, पंचायत समिति, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।**

www.rajteachers.com

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालकों को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता की स्थिति से सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पा रहा है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु ***Re-appropriation*** के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् को भिजवाएंगे।
- बालक–बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
- सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जावें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
- परिवहन भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
- सामूहिक परिवहन व्यवस्था में प्रत्येक बच्चों को दूरी के आधार पर ही राशि देय होगी तथा वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
- परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
- परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
- संबंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में** ट्रांसपोर्ट/एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
- प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
- समस्त व्यवस्था पात्र बालक–बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।

(शिवांगी स्वर्णकार)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : राज0स्कूल0शि0प0/जय/आईईडी/18–19/5221
दिनांक 21/8/18

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
6. निजी सचिव, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्राशि/माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक।
9. रक्षित पत्रावली।

www.rajteachers.com

(रामनिवास जाट)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

परिवहन एवं एस्कॉर्ट भत्ते हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका..
2. पिता का नाम..
3. जन्म तिथि.......................................कक्षा..
4. स्थानीय पता..
5. एस.आर. न0...दोष का प्रकार एवं प्रतिशत...............................
6. नोडल / पीईईओ..ब्लॉक...
7. विद्यालय...डाईस कोड़..
8. घर से विद्यालय की दूरी..
9. आधार कार्ड नम्बर..
10. खाता संख्या..IFSC Code...................................
11. बैंक का नाम..
12. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चें के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चे का नाम..
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि..
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है ....
....

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर अभिभावक

ह0 छात्र / छात्रा

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक / बालिका.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................... में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक / बालिका को परिवहन भत्ते हेतु ₹ ....प्रतिमाह / एस्कॉर्ट भत्ता अथवा दोनों भत्ते प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र / छात्रा.. पुत्र / पुत्री श्री...विद्यालय..को परिवहन भत्ता ....प्रतिमाह / एस्कॉर्ट भत्ता अथवा दोनो भत्ते ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............